

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक/प्रबन्ध/ 2637-39 /2017-18

दिनांक :- 15/05/17

(कार्यालय आदेश)

कार्यालय पत्रांक/शि0स0/15330-32/2013-14 दिनांक 01.03.2014 के द्वारा उत्तम पब्लिक स्कूल रहावती मवाना मेरठ को नर्सरी से कक्षा 08 (अंग्रेजी माध्यम) की दिनांक 01.07.2014 से 30.06.2017 तक लिये अन्तिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 12.05.2017 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 419/79-6-2013-18 एस (7)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 15 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर निगमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है का प्रविधान है।

उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसीलए कार्यालय पत्रांक शि0स0/15330-32/2013-14 दिनांक 01.03.2014 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गये प्रविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

(मौ0 इकबाल)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ

पृ0सं0/प्रबन्ध/ 2637-39

/2017-18 दिनांक : तदैव

प्रतिलिपि: निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

1- शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।

2- उपर शिक्षा निदेशक बेसिक इलाहाबाद।

3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मेरठ।

Rajiv

Manager
Uttam Public School
Rahawati, Mawana (Meerut)

Rajiv
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ